


90

न्यायालय श्रीमान जिला राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर



P 2992-II/12

श्री. रामचन्द्र चतुर्वेदी वरिष्ठ.  
द्वारा जमा दि. 7.9.12 को  
प्रस्तुत

*(Signature)*  
कलकत्ता कोर्ट  
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

- 1- रामचरित पाण्डेय पिता रामदयाल पाण्डेय, निवासी ग्राम नाऊनर तहसील हनुमना, जिला रीवा, म०प्र०,
- 2- हरिप्रसाद पिता रामदयाल पाण्डेय ग्राम नाऊनखुर्द, तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०, — निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- सुग्गालाल § तनय रामेश्वर दास ब्रा. साकिन नाऊन खुर्द, तहसी
- 2- गोरेलाल § हनुमना, जिलारीवा, म०प्र०,
- 3- अर्जुनलाल §
- 4- शासन मध्य प्रदेश — — गैर-निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार तहसील हनुमना  
राजस्व प्रकरण क्र. 35-ए-12/11-12, आदेश दि  
30.6.2012,  
=====

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० नू राजस्व संहिता स  
1959 ई.।  
=====

*(Signature)*  
K.K. Deoinesh  
7/9/12

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य  
=====

जो कि विवादित भूमि आराजी नं० 71/12 रकबा 0.10 एकड़,  
रकबा 0.59 ए., 747/3 रकबा 0.11 ए., कुल कित्ता 3, स्थित भ  
मौजा नाऊन खुर्द, पञ्चवारी हल्का मन्डिगवां, तहसील हनुमना, जिल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2992-दो/2012

जिला रीवा

रामचरित विरूद्ध सुग्गालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</li><li>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार हनुमना के प्रकरण क्रमांक 35/ए-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी हनुमना को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>6 3. 2019</p>